Scheme of I.C.A.R. for More Income and Employment in Rural Areas

5543. SHRI HARINATH MISRA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research have recently drawn up a scheme to generate more income and employment opportunities for marginal farmers, landless labourers and other economically weaker sections of the population in rural areas;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) what concrete steps have been taken or are proposed to be taken to implement the scheme throughout the country; and

(d) if no action has been taken the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION: (KUMARI KAMLA KUMARI): (a) Yes, Sir.

(b) An All-India Coordinated Project for generating additional income and employment in the market shed areas of Metropolitan cities is under preparation & processing in the ICAR.

(c) While project proposals were being processed in consultation with Ministry of Finance it was found that the Ministry of Rural Reconstruction, Government of India also have similar proposals under their consideration. Hence, to avoid duplication, it is proposed to explore possibilities of integrating these project proposals with those being formulated by the Ministry of Rural Reconstruction. However, the Ministry of Rural Reconstruction seem to have developed a proposal for setting up a Council for Advancement of Rural Technology (CART) which the Planning Commission have already cleared. Besides, the Planning Commission have also set up a Task Force for preparation of All-India Coordinated Research Project for technologies for landless labour families. The report of the task force is awaited.

(d) The question does not arise.

जैसलमेर तथा बाड़मेर में जनसंख्या के अनुसार डाकघरों का खोला जाना

5544. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांव में प्रति एक हजार की जनसंख्या पर डाकघर खोला जाता है ; और

(ख) क्या राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी और पिछड़े जिलों में, जहां, क्रमश: 10 से 50 प्रतिशत किलोमीटर जनसंख्या है और जहां गांव 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है और कुछ गांवों में एक हजार की जनसंख्या है सरकार इन पिछड़े जिलों में विकास की गति तेज करने की दृष्टि से एक हजार की जनसंख्या के स्थान पर 500 की जनसंख्या पर डाकघर खोलने का मापदंड अपनाने के लिए तैयार है, और यदि हां, तो उपर्युक्त निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख). पहाड़ी, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघर विभागीय मानदंडों के अनुसार खोले जाते हैं, जिनका सारांश विवरण में दिया गया है । राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिले पिछड़े क्षेत्रों की सूची में आते हैं । मौजूदा मानदंड के तीन आधार हैं तथा केवल जनसंख्या की छूट के आधार पर इन जिलों के किसी ग्राम को डाकघर खोले जाने के योग्य नहीं समझा जा सकता । फिलहाल इन मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोले जाने हेतु मानदंडों का सारांश ।

ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोले जाने के मानदंड निम्न हैं :—

संक्षेप में, ग्रामीण इलाकों में किसी ग्राम में डाकघर निम्न शर्तों के आधार पर खोला जा सकता है :—

(i) ग्राम या तो ग्राम पंचायत का मुख्यालय हो अथवा उस ग्राम की आगादी कम से कम 2000 अथवा इससे अधिक हो ।

(ii) ग्राम वर्तमान डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी पर स्थित हो ।

(iii) प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत होने का अनुमान हो ।

पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों में डाकघर निम्न शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(i) ग्राम या तो ग्राम पंचायत का मुख्यालय हो अथवा वहां की कम से कम आबादी (इस उद्देश्य से 1.5 किलोमीटर अरीय दूरी के भीतर के सभी ग्रामों को लिया जा सकता है) 1000 हो।

(ii) ग्राम वर्तमान डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी पर स्थित हो ।

(iii) प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत होने का अनुमान हो ।

पोस्टमास्टर जनरलों को उक्त मानदण्डों में से किसी में भी हर वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में छूट देने का अधिकार प्राप्त है ।

सामान्यतया ग्रामीण इलाकों में खोले गए नए डाकघर विभागेतर शाखा डाकघर स्तर के होते हैं। विभागेतर शाखा डाकघरों को विभागेतर एजेंटों के अधीन रखा जाता है ।

Inter-Cropping of Grains Legumes with Cereals and Oilseeds Etc.

5545. SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether agriculture scientists from different parts of India participating in a workshop organised by Protein Foods and Nutrition Development Association of India in January, 1981 have recommended inter-cropping of grains Legumes with various cereals, oilseeds etc;

(b) if so, whether they have pointed out that this is likely to bring 50 per cent more benefit of crop yield; and

(c) what are the other recommendations made by them and how far they have been implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes Sir, the workshop on 'grain legumes' organised by the Protein Foods and Nutrition Development Association of India at New Delhi, on January 9, 1981 recommended the inter-cropping of legumes with various cereals, oilseeds, cotton etc.

(b) Yes Sir, it was pointed out by the scientists that the above practice is likely to bring nearly 50 per cent more benefit of crop yields.

(c) Other recommendations made, pertain to different aspects of grain le-